"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2011—वैशाख 21, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक 3379/डी. 119/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 59 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—
"(च), (छ) तथा (ज)."

(2) धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—
"(च) आवासीय कालोनी/परियोजना,
(छ) सार्वजनिक/संस्थागत प्रयोजन,
(ज) चिकित्सा सुविधा केन्द्र."

(3) धारा 59 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"परन्तु यह और कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि के व्यपवर्तन हेतु पुन: निर्धारण से छूट होगी."

(4) मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) में शब्द "उपखण्ड अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 172 का संशोधन. 3. (1) मूल अधिनियम की धारा 172 में, जहां कहीं शब्द "उपखण्ड अधिकारी" आया हो, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (5) में, शब्द "दो सौ रुपये" तथा "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" तथा "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(4) मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (6-क) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 241 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (4) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. मूल अधिनियम की धारा 247 की उपधारा (7) के परन्तुक में, जहां कहीं शब्द "एक हजार रुपये" आया हो, के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. — **धारा 247 का संशोधन.**

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में, शब्द "पांच हजार रुपये" तथा "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" तथा "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं. — **धारा 248 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6) में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. — **धारा 250 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (9) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (9) के परन्तुक में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 250-ख की उपधारा (4) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. मूल अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. — **धारा 253 का संशोधन.**

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक 3379/डी. 119/21-अ/प्रा./छ. ग./11. –भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2011)

THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 59.

2. (1) After clause (e) of sub-section (1) of Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clauses shall be inserted, namely :--
"(f), (g) and (h)."

(2) After clause (e) of sub-section (1) of Section 59, the following clauses shall be inserted, namely :—
"(f) Residential Colony/Project;
(g) Public/Institutional Purpose;
(h) Medical Facilities Center."

(3) After proviso to sub-section (2) of Section 59 the following proviso shall be inserted, namely :—
"Provided further that the Naya Raipur Development Authority shall be exempted from re-assessment for the diversion of land."

(4) In sub-section (5) of Section 59 of the Principal Act, for the words "Sub-Divisional Officer" the words "Competent Authority" shall be substituted.

Amendment of Section 172.

3. (1) In Section 172 of the Principal Act, for the words "Sub-Divisional Officer"wherever they occur the words "Competent Authority" shall be substituted.

(2) In sub-section (4) of Section 172 of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be substituted.

(3) In sub-section (5) of Section 172 of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" and "twenty rupees" the words "one thousand rupees" and "one hundred rupees" shall be subsituted.

(4) In sub-section (6-a) of Section 172 of the Principal Act, for the words "one hundred rupees" the words "five hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 241.

4. In sub-section (4) of Section 241 of the Principal Act, for the words "five thousand rupees" the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 247.

5. In proviso to sub-section (7) of Section 247 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees" wherever they occur the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 248.

6. (1) In sub-section (1) of Section 248 of the Principal Act, for the words "five thousand rupees" and "twenty rupees" the words "twenty five thousand rupees" and "two hundred rupees" shall be substituted.

(2) In sub-section (2) of Section 248 of the Principal Act, for the words "one thousand five hundred rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 250.

7. (1) In sub-section (6) of Section 250 of the Principal Act, for the words "two hundred fifty rupees" the words "one thousand rupees" shall be substituted.

(2) In sub-section (9) of Section 250 of the Principal Act, for the words "five thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

(3) In proviso to sub-section (9) of Section 250 of the Principal Act, for the words "one thousand five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(4) In sub-section (4) of Section 250-B of the Principal Act, for the words "one hundred rupees" the words "five hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 253.

8. In sub-section (1) of Section 253 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees" the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.